ई–मेल / स्पीड पोस्ट से,

मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 690-91
भोपाल, दिनांक 11/09/2020

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी / 721 / 2017

आवेदकः–
M/s Du Graph,
104/ E , Sector -B,
Sanwer Road, Industrial Area,
Indore – 452 001 (M.P.)

विरूद्ध

अनावेदकगणः–
M/s Mkao Agro Chemical Industries,
Shri Sunil Bhadouria (Propietor)
126/1/1, S. R. Compound,
Lasudia Mori, Dewas Naka,
Indore. – 452 001(M.P.)

अन्तिम सुनवाई दिनांक 25.08.2020

माध्यस्थम आदेश दिनांक 11-09-.2020

आवेदक ने दिनांक 26.10.2016 को इस काउन्सिल के समक्ष, अनावेदकगणों के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 1,97,063/– एवं दिनांक 15.09.2016 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 1,16,628/– कुल बकाया राशि रू. 3,13,691/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

अनावेदक द्वारा आवेदक को दुरभाष पर मौखिक रूप से सामग्री का निर्माण कर, प्रदाय हेतु आदेशित किया गया। मौखिक आदेशानुसार आवेदक द्वारा अनावेदक को निम्नानुसार इन्वाईसेस के माध्यम से सामग्री का प्रदाय किया गया :–

स. क्र.	इन्वाईस न0 एवं दिनांक	सामग्री का विवरण	सामग्री की मात्रा	टैक्सेस सहित इन्वाईसेस का कुल मूल्य
01	22, 30.06.14	Bottle 1 Ltr Bottle 500 ml	2000 2000	66570.00
02	23, 01.07.14	Bottle 250 ml	2000	22260.00
03	27, 11.07.14	Bottle 500 ml	3000	41265.00
04	33, 22.07.14	Bottle 1 Ltr Bottle 1/2 Ltr Bottle 1/4 Ltr	1000 1000 1000	44940.00
05	46, 13.09.14	Bottle 1 Ltr Bottle 500 ml Bottle 250 ml	500 500 1000	27773.00
06	73, 17.01.15	Bottle 1 Ltr	250	4620.00
	TOTAL		14250	1,42,067.00

उपरोक्त देयको के माध्यम से अनावेदक को सामग्री का प्रदाय, निर्देशित नियत स्थान पर, किया गया है, जिसकी पावती प्रदायित सामग्री के साथ भेजे गये बिल पर मौजूद है, जो सामग्री

...........2

प्राप्त होने का प्रमाण है।

आवेदक ने लेख किया कि आवेदक एवं अनावेदक के मध्य परस्पर कोई लिखित समझौता नही हुआ है। मौखिक रूप से सामग्री प्रदाय दिनांक से 30 दिवस में भुगतान किया जाना तय किया गया था। अनावेदक द्वारा प्रदायित सामग्री के बारे में कभी कोई भी आपत्ति दर्ज नही कराई गई।

आवेदक द्वारा अनावेदक को कुल राशि रू. 2,07,428 / – की सामग्री का प्रदाय किया गया जिसके विरूद्ध अनावेदक से केवल राशि रू. 10,365 / – का भुगतान प्राप्त हुआ है तथा राशि रू. 1,97,063 / – अनावेदक पर बकाया है।

अतः आवेदक द्वारा मुलधन राशि रू. 1,97,063 / – एवं इस राशि पर देयकवार अपाईन्टेड डे से दिनांक 15.09.2016 तक संगणित ब्याज की राशि रू. 1,16,628 / – तथा विलंबित अवधि के ब्याज हेतु अनावेदक के विरूद्ध दावा आवेदक पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 1729–1730, दिनांक 16.01.2017 से उत्तर प्रस्तुत करने हेतु अनावेदक को प्रेषित किया गया।

सुनवाई दिनांक 16.02.2017 का सूचना–पत्र अनावेदक को स्पीड पोस्ट से प्रेषित किया गया, जिसकी ट्रेकिंग रिपोर्ट कन्साईन्मेंट नम्बर EI0578944884IN के अनुसार दिनांक 11.09.2017 को अनावेदक को आयटम डिलीवर्ड हुआ है।

सुनवाई दिनांक 27.05.2017 का अनावेदक को प्रेषित सूचना पत्र वापिस प्राप्त हुआ, जिसके लिफाफे पर "Refused" की टीप्पणी अंकित है।

सुनवाई दिनांक 27.05.2017 को काउन्सिल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार सुनवाई दिनांक 28.04.2018 की सुनवाई में अनावेदक की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु, इन्दौर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र दिनांक 20.04.2018 में आवेदक द्वारा ''जाहिर सूचना'' का प्रकाशन कराया गया, किन्तु अनावेदक अनुपस्थित रहे।

सुनवाई दिनांक 28.04.2018 का सूचना–पत्र अनावेदक को स्पीड पोस्ट से प्रेषित किया गया, जिसकी ट्रेकिंग रिपोर्ट कन्साईन्मेंट नम्बर EI113015695IN के अनुसार दिनांक 13.04.2018 को अनावेदक को आयटम डिलीवर्ड हुआ है।

सुनवाई दिनांक 24.07.2019 एवं 28.07.2020 का सूचना पत्र "unclaime" एवं "Left" की टीप्पणी के साथ वापिस प्राप्त हुआ है।

सुनवाई दिनांक 25.08.2020 की सूचना उभयपक्षों को ई–मेल एवं दुरभाष पर दी गई।

सुनवाई दिनांक 25.08.2020 को आवेदक की ओर से श्री बृजमोहन गुप्ता वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उपस्थित हुए तथा अनावेदक मेसर्स मकाओ केमिकल इण्डस्ट्रीज, इन्दौर की ओर से श्री सुनील धौलिया द्वारा फोन पर अपनी उपस्थिति दी गई।

आवेदक ने अवगत कराया कि मौखिक आदेश के परिपालन में बॉटल प्रदाय की गई थी। कृपया भुगतान शीघ्र करवाने की कार्यवाही करे।

अनावेदक ने आपत्ति ली कि 95 ग्राम बॉटल के स्थान पर 65 ग्राम बॉटल प्रदाय किया गया, जिससे उन्हे क्षति हुई है तथा पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है।

आवेदक–अनावेदक दोनो के पास कोई लिखित अनुबंध नही है।

प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर अंतिम आदेश पारित करने हेतु निर्णय लिया गया।

............3

प्रकरण का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र अनावेदक को दिनांक 16.01.2017 को प्रेषित किया गया, जो काउन्सिल को वापिस प्राप्त नही होने से, निश्चित ही अनावेदक को प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात सुनवाई दिनांक 16.02.2017 एवं दिनांक 28.04.2018 के सूचना–पत्र अनावेदक को प्राप्त हुए है, जिसकी पुष्टि नस्ती में उपलब्ध स्पीड–पोस्ट की ट्रेकिंग रिपोर्ट से होती है। सुनवाई दिनांक 27.05.2017 का अनावेदक को प्रेषित सूचना पत्र वापिस प्राप्त हुआ, जिसके लिफाफे पर "Refused" की टीप्पणी अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा जानबुझकर डाक से प्रेषित, प्रकरण से सम्बन्धित सूचना पत्र नही लिये गये है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा, अनावेदक के संज्ञान में होते हुए भी, अनावेदक द्वारा आवेदक के दावे का खंडन / उत्तर प्रस्तुत नही किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनावेदक को प्रदायित सामग्री की इन्वाईसेस पर अनावेदक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर अंकित है, जिससें अनावेदक को सामग्री प्राप्ति की पुष्टि होती है। अनावेदक द्वारा सुनवाई दिनांक 25.08.2020 को आपत्ति ली गई कि 95 ग्राम बॉटल के स्थान पर 65 ग्राम बॉटल प्रदाय किया गया, जिससे उन्हे क्षति हुई है तथा पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है। अनावेदक के इस कथन से यह पुष्टि होती है कि अनावेदक को सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त हुई है।

सुनवाई दिनांक 25.08.2020 को अनावेदक द्वारा सामग्री के संबंध मे ली गई आपत्ति पर काउन्सिल का विचारण / मत है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा, अनावेदक के संज्ञान में होते हुए भी, अनावेदक द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत नही की गई एवं ली गई आपत्ति के संबंध में तत्समय आवेदक को 95 ग्राम बॉटल के स्थान पर 65 ग्राम बॉटल प्रदाय करने की लिखित शिकायत आवेदक को करने संबंधी कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत इन्वाईसेस से ज्ञात होता है कि बॉटल की केपेसिटी लीटर में है। अनावेदक द्वारा बॉटल के वजन पर आपत्ति किस आधार पर ली गई है, स्पष्ट नही किया है। अतः अनावेदक की आपत्ति मान्य योग्य नही है।

अनावेदक ने कथन किया है कि **पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है,** किन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक को भुगतान किये जाने तथा आवेदक द्वारा दावा की गई बकाया राशि के संबंध में कोई प्रामाणिक अभिलेख प्रस्तुत नही किये है। अतः अनावेदक का कथन कि **पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है, साक्ष्य / अभिलेखों** के अभाव में अमान्य किया जाता है।

सुनवाई दिनांक 25.08.2020 को अनावेदक द्वारा ली गई आपत्ति से पुष्टि होती है कि अनावेदक को सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त हुई है। आवेदक द्वारा अनावेदक पर बकाया राशि के संबंध 2014–15 एवं 2015–16 के लेज़र की स्व प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई, जिसमें अनावेदक पर राशि रू. 1,97,063 /– अनावेदक पर बकाया होने की पुष्टि होती है। उपरोक्त विश्लेषण से आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत विलंबित संदाय राशि का दावा स्थापित होता है।

अतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 15 के अनुसार सामग्री प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 45 दिवस की समयावधि अनावेदक द्वारा आवेदक को भुगतान किया जाना था। अनावेदक द्वारा आवेदक से अविवादित सामग्री प्राप्त करने के उपरांत नियत समयावधि में आवेदक को भुगतान नहीं किया गया है।

अतः आवेदक, अनावेदक से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 के प्रावधान अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज सहित भुगतान पाने का अधिकारी है।

...........4

अतएव, ''म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017'' के नियम—09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक M/s Mkao Agro Chemical Industries Shri Sunil Bhadouria (Pr opietor) 126/1/1, S. R. Compound, Lasudia Mori, Dewas Naka, Indore.–452 001(M.P.) द्वारा, वकाया संदाय राशि रू. 1,97,063/— (रूपये एक लाख सन्त्यानवे हजार तिरसठ मात्र) एवं इस राशि पर दिनांक 15.09.2016 तक की वकाया ब्याज राशि रू. 1,16,628/— (रूपये एक लाख सोलह हजार छ सौ अट्ठाईस मात्र) कुल राशि रू. 3,13,691/— (रूपये तीन लाख तेरह हजार छ सौ इंक्यानवे मात्र) एवं दिनांक 16.09.2016 से भुगतान दिनांक तक, के ब्याज का भुगतान आवेदक M/s Du Graph, 104/ E, Sector -B, Sanwer Road, Industrial Area, Indore–452 001 (M.P.) को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

अनावेदक द्वारा समयावधि में भुगतान न करने पर, आवेदक, अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार देय कुल राशि पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 में वर्णित प्रावधान अनुसार, भुगतान दिनांक तक, मासिक आधार पर, चक्रवृद्धि ब्याज, पाने का अधिकारी होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील दिनांक तक की, कुल संगणित ब्याज सहित मूलधन राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्ष्म प्राधिकारी/अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, ''मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद'' भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/— के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(अनन्या विश्वास)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक निदेशक,
एमएसएमई विकास संस्थान,भोपाल।